


-:प्रपत्र-03:-

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा जनपद से सम्बन्धित की गयी घोषणायें

क्र 0 सं0	विभाग का नाम	जनपद का नाम	घोषणाओं की कुल संख्या	घोषणाओं की संख्या, जिसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।	पूर्ण घोषणायें	प्रगतिरत/ निर्माणाधीन घोषणायें	अवशेष घोषणायें	अभ्युक्ति
01.	विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	धम्पावत	08	-	04	02	02	-

दिनांक- अप्रैल, 2022

हस्ताक्षर.....
अधिकारी का नाम-डा0 जीवन सिंह चुफाल,
पदनाम-नोडल अधिकारी (मुख्यमंत्री घोषणा)



मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन स्थिति दिनांक 30.04.2022 (जनपद-चम्पावत।)

1.	507/2019 दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकासखण्ड पाटी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौड़ामेहता एवं विकासखण्ड पाटी के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, रेगडू में टेलीमेडिसिन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत ने अपने पत्र संख्या-मु0वि0अ0/मुख्यमंत्री घोषणा/6156-579-3, दिनांक-23 जून, 2021 द्वारा अवगत कराया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-507/2019 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेगडू में टेलीमेडिसिन स्थापना किये जाने हेतु जिला अधिकारी, चम्पावत एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत के माध्यम से श्वान केन्द्र प्रमारी एवं अन्य दूरसंचार कम्पनियों के माध्यम से Network-Connectivity, V-SAT के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त सहायक निदेशक (आई0टी0 सैल) के पत्र दिनांक-09.06.2020 के अनुसार ई संजीवनी के माध्यम से प्रा0स्वा0केन्द्र चौड़ामेहता में टेलीमेडिसिन सेवा शुरु कर दी गयी है। (आंशिक पूर्ण)
2.	506/2019 दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019	चम्पावत	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मडलक कस्बे में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय का निर्माण किया जायेगा।	स्थान-मडलक कस्बे से लागू होने वाली जनसंख्या-7,632 है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित आई0प0एच0एस0 मानकानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निर्धारित जनसंख्या मानक 20,000 (पर्वतीय क्षेत्र हेतु) को पूर्ण नहीं करती है। महानिदेशालय के पत्र संख्या-6प/नियो0/घोषणा/23/2019/12238, दिनांक-10.08.2020 एवं पत्र संख्या-6प/नियो0/घोषणा/23/2019/11855, दिनांक-09 जून, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। (कार्यवाही गतिमान)
3.	224/2020 दिनांक: 28.02.2020	चम्पावत	जनपद में महिला लिंगानुपात को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दस-दस हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी-चम्पावत ने अपने पत्र संख्या-मा0 मुख्यमंत्री घोषणा/2021-22/985, दिनांक-06.08.2021 द्वारा अवगत कराया है कि जिलाधिकारी महोदय (जिला समुचित प्राधिकारी) द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिनियम के नियम 5(2) के अनुसार पंजीकरण एवं नवीनीकरण से प्राप्त शुल्क का उपयोग केवल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के प्राविधानों और नियमों के क्रियान्वयन हेतु ही किया जा सकता है, अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य स्तर से किया जाना उचित होगा। उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्र संख्या-5प/बजट-01/32/2021-22/26156, दिनांक-29.11.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नयी माँग के माध्यम से रू0 10,00,000.00 (रू0 दस लाख) का बजट प्राविधान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। (कार्यवाही गतिमान)
4.	878/2021 01 सितम्बर, 2021	चम्पावत	विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर में नये फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर इसे संचालित किया जायेगा।	महानिदेशालय के पत्र संख्या-6प/नियो0/36/2021, दिनांक- अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रकरण पर आख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत से मांगी गयी, है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत ने अपने पत्र दिनांक: 01.11.2021 जो ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है द्वारा अवगत कराया है कि नव निर्मित ट्रामा यूनिट टनकपुर का सविलियन उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में कर दिया गया है। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर के रूप में 10 शैयायुक्त आईसोलेशन वार्ड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है एवं वर्तमान में कोविड टीकाकरण का कार्य भी निरन्तर किया जा रहा है। सम्बन्धित ट्रामा यूनिट के

				सभी कार्य उप जिला चिकित्सालय टनकपुर के संसाधनों से संचालित/सम्पादित किये जा रहे हैं। (घोषणा पूर्ण)।
5.	200/2022 01 सितम्बर, 2021	चम्पावत	विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।	वर्तमान में प्रश्नगत घोषणा महानिदेशालय में प्राप्त नहीं हुयी है, घोषणा प्राप्त होते ही घोषणा के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु आईपीओएचएसओ मानकानुसार प्रस्ताव औचित्यपूर्ण पाये जाने पर प्रस्ताव शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।
6.	839/2014 दिनांक 30.10.2014	चम्पावत	तरकुली ए०एन०एम० सेन्टर में ए०एन०एम० की नियुक्ति की जायेगी।	उपकेन्द्र तरकुली जनपद चम्पावत में संविदा ए०एन०एम०कु०चन्द्रा भाटिया की तैनाती की गयी है। उनके द्वारा उपकेन्द्र तरकुली में दिनांक: 20.09.2014 से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (घोषणा पूर्ण)।
7.	834/2014 दिनांक 30.10.2014	चम्पावत	तामली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। संशोधित प्रा०स्वा०के० की स्थापना की जायेगी।	वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित समस्त चिकित्सा ईकाईयों को आईपीओएचएसओ मानकानुसार पुर्नगठित/पुर्न स्थापित किया जा चुका है। जिसके अनुसार तामली को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (टाईप-ए) की श्रेणी में रखा गया है। (घोषणा पूर्ण)।
8.	1965/2015 दिनांक-15 जून, 2015	चम्पावत	"पी०पी०पी० मोड में संचालित चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक मशीन एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी"	जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत को ई भी अस्पताल पी०पी०पी० मोड से आच्छादित नहीं है। अतः सूचना शून्य है। (घोषणा पूर्ण)।